संशोधन

संख्या- 323 / 2024 / 2663 / चार-2024-1822274

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2024

विषय- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर में स्थित संगीत भवन में अग्निशमन कार्य (फायर फाइटिंग सिस्टम) स्थापित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 314/2024/2315/चार-2024-1822274 दिनांक 02.09.2024 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 314/ 2024/2315/ चार-2024-1822274 दिनांक 02.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 314/2024/2315/चार-2024-1822274 दिनांक 02.09.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 02.09.2024 के शर्तों के बिन्दु संख्या- 4 एवं 11 में अंकित '**संग्रहालय निदेशालय**' के स्थान पर '**संस्कृति निदेशालय**' पढ़ा जाय तथा पृष्ठांकन के क्रमांक- 5 में अंकित '**वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ**' के स्थान पर '**वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ**' पढ़ा जाये।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 314 / 2024 / 2315 / चार-2024-1822274 दिनांक 02.09.2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियंता (वि0), यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) लेखराज मार्केट-1, तृतीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in